न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ

पीठासीन अधिकारीः–अशोक सांगवा R.A.S.

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्याः–30/2025 (खाद्य पदार्थ नमुना संख्या के–2134)

राजस्थान सरकार जरिये हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

–प्रार्थी

बनाम्

श्री हनीफ खान पुत्र श्री अमीन खान (मालिक व विक्रेता) गांव–14 एमडी घडसाना
मैसर्स–केजीएन वैरायटी स्टोर, प्रेम कॉलोनी रोड़ घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(।।), 51 FSSA Act 2006

–:निर्णयः–

दिनांकः–16.06.2025

यह इस्तगासा **श्री हेतराम,** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(।।) व **धारा 51** के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार है–

यह है कि परिवादी तत्कालिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी **श्री हेतराम** दिनांक 28.12.2024 को सुबह 10:00 बजे **मैसर्स–केजीएन वैरायटी स्टोर, प्रेम कॉलोनी रोड़ घडसाना** पर पहुँचा। मौके पर विक्रेता **श्री हनीफ खान पुत्र श्री अमीन खान (मालिक व विक्रेता) गांव–14 एम डी घडसाना** को अपना परिचय देकर संस्थान में स्टील टैंक में खाद्य सामग्री (खुली) रखी हुई थी। स्टील टैंक में रखी खाद्य सामग्री (खुली) के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वयं को संस्थान का मालिक एवं विक्रेता बताया तथा संस्थान के स्टील टैंक में रखी खाद्य सामग्री (खुली) लगभग 10 किलो का घी होना एवं आमजन में बेचान वास्ते बताया। जिनमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से **घी (खुला)** नमूना जांच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को व्यक्त की मौके पर ही विक्रेता को फार्म नं.–5 ए भरकर दिया, जिस पर विक्रेता, गवाहान के व मैंने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **घी (खुला)** में से 800 ग्राम **घी (खुला)** विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **घी (खुला)** का नगद भुगतान **480/**–रूपए किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता, गवाहान व मेरे भी हस्ताक्षर है। कैशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे **श्री हनीफ खान पुत्र श्री अमीन खान (मालिक व विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म से 5ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता **श्री हनीफ खान पुत्र श्री अमीन खान (मालिक व विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (खुला)** 800 ग्राम को बराबर भागों में बांटकर 04 साफ–सुथरे सुखे डिब्बों में बराबर–बराबर लेकर प्रत्येक डिब्बे के ढक्कन को कसकर बंद किये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड़ एवं क्रमांक **के–2134** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–2134** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया

एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **मालिक हनीफ खां** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी मौका फर्द पर हस्ताक्षर कियें, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति नमूने के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फॉर्म नं. 6 की दो प्रतियां एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य विश्लेश्क बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात **डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पत्र क्रमांक FSSA/2024/58-59 दिनांक** 23.01.2024 के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया। खाद्य पदार्थ **घी (खुला)** के नमूना **Unsafe Food** होना पाया गया, भेजकर उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने का कहा गया।

फूड एनालिस्ट, बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्रांक–**एफएसएसए/2024/58–59 दिनांक–23.01.2024** द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया जिस पर नमूना विक्रेता व मालिक ने रेफरल फूड लैब से जांच करवाने हेतु दिनांक 26.04.2024 को आवेदन किया है।

नमूना विक्रेता व मालिक द्वारा रेफरल फूड लैब से जांच करवाने हेतु आवेदन प्राप्त होने के पश्चात डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक 346–47 दिनांक 29.04.2024 द्वारा रेफरल लैब से जांच करवाने हेतु पत्र मय नमूना प्रेषित किया।

रेफरल लैब पूणे से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पत्रांक– /एफएसएसए /2024/732–34 दिनांक 25.07.2024 के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **घी (खुला)** का नमूना **Sub-standard Food** होना पाया गया, भेजकर उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। जांच रिपोर्ट मय अग्रेषित पत्र मूल न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेतराम ने अनुसंधान कार्य सम्पन्न होने के पश्चात श्रीमान अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर को पत्र दिनांक 25.07.2024 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश की गई।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./ 2024/767–68 दिनांक 31.07.2024 के द्वारा संस्थित करने हेतु अधिकृत किया। जो मूल न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

उक्त प्रकरण में अप्रार्थी **श्री हनीफ खान पुत्र श्री अमीन खान (मालिक व विक्रेता)** से खाद्य पदार्थ **घी(खुला) Sub-standard Food** का विक्रय करके **खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2) (ii)** का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

राजस्व(ग्रुप–1) की अधिसूचना क्रमांक/प.7(27) राज/2 /2023 –06221 दिनांक 24.01.2025 के द्वारा अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर मे स्वीकृत ए.डी.एम. के पद को यथावत रखने के कारण ए.डी.एम कार्यालय का सृजन किया गया है। उक्त अनवान की पत्रावली इस न्यायालय को कार्यालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर प्राप्त हुई है। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट पुनः नये नं. पर दर्ज रजिस्टर की गई।

अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पर नोटिस तामिल होने के उपरांत स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश कर कथन किया कि वह अपने घर में बनी दुकान में दूध का कार्य व देशी घी का कार्य करता हूँ जिसमे दूध की लागत 15 किलो प्रतिदिन है देशी घी 15 से 20 किलो प्रतिमाह है उक्त मेरा छोटा सा कार्य है व किसी भी अन्य मंडियों आदि में घी व दूध की सप्लाई नही करता हूँ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों व अप्रार्थी द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **घी (खुला)** के नमूना जांच की खाद्य विशलेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट **क्रमांक L.S.2032/Act/2023/2032 दिनांक 09.01.2024** में खाद्य पदार्थ **घी(खुला) एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii), 51** का उल्लंघन करते हुए नमूना **के–2134 Unsafe Food** पाया गया है एवं पुनः रेफरल लैब, पुणे से नमूने की जांच करवाने पर रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ **घी (खुला) Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(।।) के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा कभी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा जो गलत ब्रांडेड या घटिया है या जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव में यह प्रमाणित होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ उसकी दुकान से क्रय किया गया था। अप्रार्थी द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ, उपभोक्ता द्वारा पूरी कीमत चुकाने के बावजूद बेचना उपभोक्ता के विश्वास के बंध को तोड़ता है जो एक उपभोक्ता एवं दुकानदार के बीच होता है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि दुकानदार/विक्रेता को उपरोक्त खाद्य पदार्थ की गुणवता के सम्बन्ध में जानकारी न हो। कीमतन शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त करना आम ग्राहक का अधिकार है। यह जीवन के मूल–भूत अधिकार में अंतर्निहित है। आम जन मानस इस विश्वास के साथ खाद्य पदार्थ कीमतन खरीदता है कि उसे उस कीमत का शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा जिसकी उसने कीमत चुकाई है। अप्रार्थी द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ बेचकर उस विश्वास को तोड़ा गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त कृत्य कर एफ.एस.एस.ए. 2006 धारा 26(2)(।।), 51 का उल्लंघन किया है। अतः लोक स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टिकोण को न्यायहित/लोकहित में रखकर एवं एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा **26(2)(।।), 51** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ **घी (खुला)** हेतु **श्री हनीफ खान पुत्र श्री अमीन खान (मालिक व विक्रेता) गांव–14 एमडी घडसाना मैसर्स–केजीएन वैरायटी स्टोर, प्रेम कॉलोनी रोड़ घडसाना जिला श्रीगंगानगर** द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **घी (खुला) Sub-Standard पाये जाने पर 100,000/–रूपये (एक लाख रूपये)** आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक–16.06.2025 को सुनाया गया।

ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE ANUPGARH

(अशोक सांगवा) आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ